रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227470
CG-DL-E-10062021-227470

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2079] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 10, 2021/ज्येष्ठ 20, 1943
No. 2079] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 10, 2021/JYAISTHA 20, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2239(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 1242 (अ), तारीख 8 मार्च, 2019 [जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वीप संरक्षण क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 कहा गया है] ने कतिपय अपतटीय हिस्सों को अपतटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है और उक्त क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और संक्रियाओं को स्थापित करने और उनका विस्तार करने पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ;

और, केंद्रीय सरकार ने अंदमान और निकोबार प्रशासन से राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) को आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के उपबंधों के अधीन बालू खनन के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं ;

और, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 को संशोधित करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन अधिसूचना की अपेक्षा का अधित्यजन करना लोकहित में है ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वीप अपतटीय विनियमन क्षेत्र (आईसीआरजेड) अधिसूचना, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के पैरा 4 के खंड (III) आईसीआरजेड-1ख के उपखंड (xix) के परंतुक में, "समुद्र प्रबंधन संस्थान (आईओएम), चेन्नई" शब्दों और कोष्ठक के पश्चात् "या राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी)" शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

[फा.सं.12-12/2018-आईए III]
सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं. 1242(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2(अ), तारीख 1 जनवरी, 2021 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2239(E).—WHEREAS by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 [hereinafter referred to as the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019], the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

AND WHEREAS, the Central Government have received representations from Andaman and Nicobar Administration regarding inclusion of National Institute of Ocean Technology (NIOT) for identifying sites for mining of sand under the provisions of the ICRZ Notification, 2019;

AND WHEREAS, the National Coastal Zone Management Authority in its 42nd meeting held on the 19th March, 2021 has also decided that the inclusion of NIOT need consideration;

AND WHEREAS, the Central Government, having regard to the provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said ICRZ Notification, 2019.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019, namely: -

In the said notification, in paragraph 4, in clause (III) ICRZ-1B, in sub-clause (xix), in the proviso, after the words and brackets "Institute of Ocean Management (IOM), Chennai", the words and brackets "or National Institute of Ocean Technology (NIOT)" shall be inserted.

[F.No. 12-12/2018-IA III]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1242(E), dated the 8th March, 2019 and subsequently amended vide notification S.O 2(E), dated the1st January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.10 21:08:28 +05'30'